UPJB010016882023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) एक्ट, अमरोहा।
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती शैलजा राठी(उच्चतर न्यायिक सेवा)
सत्र परीक्षण सं0–117/2023

उत्तर प्रदेश राज्य.....**अभियोजन।**

बनाम

1. ललित कुमार पुत्र चेतन स्वरूप
2. विपिन सैनी पुत्र रामअवतार
3. राहुल पुत्र विजयपाल
4. बोबी पुत्र बाबूराम
5. राहुल पुत्र बलवीर सिंह

निवासीगण मौ0 गांधीगनर कस्बा धनौरा, थाना मण्डी धनौरा, जनपद अमरोहा।

.....**अभियुक्तगण।**

अ0सं0–240/2022
धारा– 147, 323/149, 324/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. व
धारा 3(1)(द),3(1)(ध)एस.सी./एस.टी. एक्ट।
थाना मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा।

निर्णय

1. इस अभियोग का विचारण अभियुक्तगण राहुल कुमार पुत्र विजयपाल, राहुल कुमार पुत्र बलवीर सिंह, विपिन सैनी, बोबी एवं ललित कुमार के विरूद्ध संबंधित थाना मण्डी धनौरा जिला अमरोहा की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र अपराध संख्या 240/2022 अंतर्गत धारा- 147, 323/149, 324/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(द),3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर प्रारम्भ हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सविता पत्नी रतनलाल नि0मौ0 गांधीगनर धनौरा जिला अमरोहा की रहने वाली हूँ। दिनांक 29.07.2022 को समय 05.30 बजे शाम को मेरा पुत्र विक्की घर से बाहर दुकान पर चोबिन लेने जा रहा था जब विक्की सैनी धर्मशाला के सामने पहुंचा तभी ललित, बोबी, राहुल पुत्र विजय, राहुल पुत्र बलवीर, विपिन आये सभी लोगों ने गाली गलौच करते जातिसूचक शब्दों(भंगी) बोलते हुए मेरे बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया तथा मेरे बेटे को काफी चोटे आई है। जब भीड़ इक्टठा

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.07.31 17:11:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हो गई तो सभी लोग मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये मै व मेरा बेटा थाने पर दिनांक 29.07.2022 को गये थे लड़के को ज्यादा चोट होने के कारण थाने पर मेरे द्वारा मैडिकल कराने के लिए कहा गया। अस्पताल से डाक्टरी कराने के बाद आज रिपोर्ट लिखा रही हूँ। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण राहुल कुमार पुत्र विजयपाल, राहुल कुमार पुत्र बलवीर सिंह, विपिन सैनी, बोबी एवं ललित कुमार के विरूद्ध संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 240/2022 अंतर्गत धारा- 147, 323, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(द),3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया तथा अभियुक्तगण तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तगण राहुल कुमार पुत्र विजयपाल, राहुल कुमार पुत्र बलवीर सिंह, विपिन सैनी, बोबी एवं ललित कुमार के विरूद्ध धारा- 147, 323, 324, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(द),3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 24.07.2024 को धारा- 147, 323/149, 324/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(द),3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के आरोप विरचित किये गए, जिनसे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया है:-

क्र 0 सं0	**साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**
1.	पी0डब्ल्यू–01	वादिनी मुकदमा सविता
2.	पी0डब्ल्यू–02	देव गुजराज उर्फ विक्की

6. अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये-

क्र 0 सं0	**प्रदर्श सं0**	**अभिलेखीय प्रपत्र**
1.	प्रदर्श क-1	तहरीर

7. इसके अतिरिक्त शेष अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र **प्रदर्श क-2,** प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क-3** नक्शा नजरी **प्रदर्श क-4,** चिकित्सीय रिपोर्ट **प्रदर्श क-5 एवं** जी.डी. **प्रदर्श क-6** की प्रमाणिक सत्यता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार की गयी। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया जिसमें उन्होंने घटना को गलत बताते हुए गवाह के साक्ष्य के बारे में कुछ नहीं कहना बताया है और अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया और कहा कि हम निर्दोष हैं ।

8. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परीशीलन किया।

9. अब देखना यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा- 147, 323/149, 324/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(द),3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

10. अभियुक्तगण के विरूद्ध तय आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से 02 साक्षीयों को परीक्षित कराया गया हैं जो कि तथ्य के साक्षी है। अतः साक्षीगण के कथनों पर एक दृष्टि डालना उचित होगा।

11. **पी0 डब्लू0-1** के रूप में परीक्षित अभियोजन साक्षी **वादिनी मुकदमा सविता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 29/07/2022 को शाम 05:30 बजे लगभग मेरा लड़का विक्की घर से बाहर दुकान से चाऊमीन लेने गया था। लौटते समय मेरा बेटा मोटरसाइकिल से आते समय रास्ते में कुत्ते से टकराने पर गिर गया था जिससे उसके सिर पर और शरीर पर चोटे आ गयी थी। हमारे मौहल्ले के ललित, बॉबी, राहुल पुत्र विजय, राहुल पुत्र बलवीर व विपिन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पहचानती हूँ। इन्होने मेरे लड़के के साथ जातिसूचक शब्दो के साथ गालियाँ नहीं दी है। न ही मारपीट की है। न ही जान से मारने की धमकी दी। मैं अपने लडके को दवाई दिलवाने अस्पताल गयी तो वहां अस्पताल में पहले थाने जाने के लिए कहा गया फिर मैं थाने पहुँची तो थाने में मैंने दारोगा जी के कहने पर अपने हाथ से तहरीर लिखकर दी थी थाने से मुझे मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया था। तहरीर आज पत्रावली पर मौजूद है जो कि मेरे हस्तलेख में है व मेरे हस्ताक्षर भी है पहचानती हूँ साबित करती हूँ जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन के आग्रह पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में धारा 161 सीआरपीसी के बयान से इंकार करते हुए कथन किया है कि थाने पर मै अपने लडके विक्की व मौहल्ले के 2-4 आदमियो के साथ गयी थी। जिन आदमियो के साथ गयी थी मैं उनके नाम इस समय नहीं बता सकती। मेरे लड़के की चोटो में खून निकला था। मेरी ललित, बॉबी, राहुल पुत्र विजय, राहुल पुत्र बलवीर व विपिन से या उनके परिवार वालो से कोई रंजिश नहीं है। मेरा या मेरे परिवार का इन लोगों के साथ कभी कोई झगड़ा नही हुआ। यह कहना गलत है कि घटना मेरे साथ घटित हुई हो और मै न्यायालय को सही बात न बता रही हूँ। यह कहना भी गलत है कि मैं अभियुक्तगण से हमसाज होकर उन्हे बचाने के लिए आज झूठी गवाही दे रही हूँ।

12. **पी0 डब्लू0-2** के रूप में परीक्षित अभियोजन साक्षी **देव गुजराज उर्फ विक्की** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि मुझे मोहल्ले के लोग अधिकतर विक्की के नाम से जानते है। दिनांक 29/07/2022 को में गजरौला देवा फेक्टरी में इंटरव्यू देकर घर आ रहा था। रास्ते में भूख लगले के कारण में ठेले पे से लेकर कुछ खाने लगा था। खाने के बात में अपनी मोटरसाइकील से घर की और चल दिया था, रास्ते में एकदम से कुत्ते के मोटरसाइकिल से टकराने पर मोटरसीइकिल गिर जाने के कारण, मेरे सर में लोहे कि कोई चीज लगने के कारण चोट आ गयी थी, और खून निकल आया था। मेरे शरीर पे भी कुछ चोटे आई थी। हाजिर आदालत ललित, बोबी, राहुल, राहुल पुत्र बलवीर व विपिन को में भली भाती जानता

पहुंचानता हु यह लोग मेरे मोहल्ले के ही है, इनहोने मेरे साथ कोई मारपीट व जाति सुचक शब्दों के साथ गाली गलोच व जान से मारने की कोई धमकी नही दी। मेरे माँ मुझे थाने में लेके गयी थी, जहाँ पर पुलिस वालो ने उनसे कुछ लिखावाकर हस्ताकर करवा लिये थे। वहा से पुलिस मुझे अस्पाताल इलाज के लिये ले गयी थी। पुलिस ने मुझ से कोई पुछताछ नहीं की थी। अभियोजन के आग्रह पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में धारा 161 द 0 प्र 0 सं0 के बयान से इंकार करते हुए कथन किया है कि मेरा मुल्जिमान से कोई झगडा व रंजिश नहीं रही है। हम दोनो का एक दुसरे के यहा आना जाना रहता है। जब में इंटरव्यु देकर रास्ते मे नास्ता कर रहा था। तब यह मुल्जिमान वहा पर मौजूद नहीं थे। मेरे सर की चोट पर एक-दो वार ही मल्लहम पट्टी हुई थी। चोट लगने पर में अपनी मोटरसाइकिल से ही अपने घर अकेला ही पहुंचा था। यह कहना गलत है कि घटना मेरे साथ घटी हुई हो, और में सही बात ना बता रहा हु। यह कहना गलत हे कि में मुल्जिमान को बचाने के लिए न्यायालय में गलत बयान दे रहा हु। आज में माननीय न्यायालय में समन पर गवाही देने आया हूं। मे बिना किसी भय, दवाव व लालच के बयान दे रहा हु।

13. बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित करते हुए वादनी मुकदमे के लड़के के साथ मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की एवं गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी और उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

14. जबाबी बहस करते हुए अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि वादिनी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों में घटना से इंकार किया है और तथ्य के अन्य साक्षी ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे साबित नहीं है इसलिए अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य हैं।

15. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा तथ्य के दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0 डब्लू0–1 सविता, जो स्वयं प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा है, ने मुख्यपरीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और कथन किया है कि दिनांक 29/07/2022 को शाम 05:30 बजे लगभग मेरा लड़का विक्की घर से बाहर दुकान से चाऊमीन लेने गया था। लौटते समय मेरा बेटा मोटरसाइकिल से आते समय रास्ते में कुत्ते से टकराने पर गिर गया था जिससे उसके सिर पर और शरीर पर चोटे आ गयी थी। हमारे मौहल्ले के ललित, बॉबी, राहुल पुत्र विजय, राहुल पुत्र बलवीर व विपिन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पहचानती हूँ। इन्होने मेरे लड़के के साथ जातिसूचक शब्दो के साथ गालियाँ नहीं दी है। न ही मारपीट की है। न ही जान से मारने की धमकी दी। मैं अपने लडके को दवाई दिलवाने अस्पताल गयी तो वहां अस्पताल में पहले थाने जाने के लिए कहा गया फिर मैं थाने पहुँची तो थाने में मैंने दारोगा जी के कहने पर अपने हाथ से तहरीर लिखकर दी थी थाने से मुझे मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया था। तहरीर आज पत्रावली पर मौजूद है जो कि मेरे हस्तलेख में है व मेरे

हस्ताक्षर भी है पहचानती हूँ साबित करती हूँ जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। साक्षी ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में धारा 161 सीआरपीसी के बयान से इंकार करते हुए कथन किया है कि मेरी ललित, बॉबी, राहुल पुत्र विजय, राहुल पुत्र बलवीर व विपिन से या उनके परिवार वालो से कोई रंजिश नहीं है। मेरा या मेरे परिवार का इन लोगों के साथ कभी कोई झगड़ा नही हुआ। यह कहना गलत है कि घटना मेरे साथ घटित हुई हो और मै न्यायालय को सही बात न बता रही हूँ। यह कहना भी गलत है कि मैं अभियुक्तगण से हमसाज होकर उन्हे बचाने के लिए आज झूठी गवाही दे रही हूँ। तथ्य के अन्य साक्षी पी0 डब्लू0–2 देव गुजराज उर्फ विक्की ने भी अपनी मुख्यपरीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और कथन किया है कि मुझे मोहल्ले के लोग अधिकतर विक्की के नाम से जानते है। दिनांक 29/07/2022 को में गजरौला देवा फेक्टरी में इंटरव्यू देकर घर आ रहा था। रास्ते में भूख लगले के कारण में ठेले पे से लेकर कुछ खाने लगा था। खाने के बात में अपनी मोटरसाइकील से घर की और चल दिया था, रास्ते में एकदम से कुत्ते के मोटरसाइकिल से टकराने पर मोटरसीइकिल गिर जाने के कारण, मेरे सर में लोहे कि कोई चीज लगने के कारण चोट आ गयी थी, और खून निकल आया था। मेरे शरीर पे भी कुछ चोटे आई थी। हाजिर आदालत ललित, बोबी, राहुल, राहुल पुत्र बलवीर व विपिन को में भली भाती जानता पहुंचानता हु यह लोग मेरे मोहल्ले के ही है, इनहोने मेरे साथ कोई मारपीट व जाति सुचक शब्दों के साथ गाली गलोच व जान से मारने की कोई धमकी नही दी। मेरे माँ मुझे थाने में लेके गयी थी, जहाँ पर पुलिस वालो ने उनसे कुछ लिखावाकर हस्ताकर करवा लिये थे। वहा से पुलिस मुझे अस्पाताल इलाज के लिये ले गयी थी। साक्षी ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में धारा 161 द0प्र0सं0 के बयान से इंकार करते हुए कथन किया है कि मेरा मुल्जिमान से कोई झगडा व रंजिश नहीं रही है। हम दोनो का एक दुसरे के यहा आना जाना रहता है। जब में इंटरव्यु देकर रास्ते मे नास्ता कर रहा था। तब यह मुल्जिमान वहा पर मौजूद नहीं थे। मेरे सर की चोट पर एक–दो वार ही मल्हम पट्टी हुई थी। चोट लगने पर में अपनी मोटरसाइकिल से ही अपने घर अकेला ही पहुंचा था। यह कहना गलत है कि घटना मेरे साथ घटी हुई हो, और में सही बात ना बता रहा हूं। यह कहना गलत हे कि में मुल्जिमान को बचाने के लिए न्यायालय में गलत बयान दे रहा हु। पत्रावली पर चुटैल की चिकित्सीय रिपोर्ट उपलब्ध है जिसकी सत्यता को अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त चिकित्सीय रिपोर्ट में चुटैल विक्की को आई चोट नं0–1 सिर के अगले हिस्से पर 4.2 सेमी × 5 सेमी का कटा हुआ घाव तथा चोट नं0–2 दाहिने कंधे पर 6 सेमी × 2 सेमी की सूजन/नील उपरोक्त दोनों चोटें चिकित्सा अधिकारी द्वारा साधारण प्रकृति की बतायी गयी है परन्तु अभियोजन को मात्र चोटें आना साबित नहीं करना है अपितु यह भी साबित करना होता है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी हो। अभियोजन की ओर प्रस्तुत किसी भी साक्षी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि चुटैल को उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा तथ्य के परीक्षित कराये गये साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा गवाहान की साक्ष्य में ऐसा कोई अन्य तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक को बल मिल सके। ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है। जिसके आधार पर घटना संदेहास्पद हो जाती है।

16. यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अपने कथानक को सभी संदेहों से परे साबित करे। यदि किसी प्रकरण में संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उस संदेह का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जाता है, बल्कि अभियुक्तगण को दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना पूर्णरूपेण संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः संदेह का लाभ अभियोजन पक्ष को न देकर अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

17. उपरोक्त समस्त परिचर्चा से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149, 324/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(द),3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

18. अभियुक्तगण **राहुल कुमार पुत्र विजयपाल, राहुल कुमार पुत्र बलवीर सिंह, विपिन सैनी, बोबी एवं ललित कुमार को धारा 147, 323/149, 324/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट, सत्र परीक्षण संख्या–117/2023, अपराध संख्या 240/2022 राज्य बनाम ललित आदि**, थाना मण्डी धनौरा, जनपद अमरोहा के मामले में दोषमुक्त किये जाते हैं।

19. अभियुक्तगण जमानत पर है उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्तगण द्वारा धारा 437A दं0 प्र0 सं0 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में जमानतनामें व बन्धपत्र दाखिल कर दिये गये हैं, जो निर्णय की तिथि से छःमाह तक प्रभावी रहेंगे।

21. इस निर्णय की प्रति के साथ वादिनी मुकदमा सविता के विरूद्ध धारा 344 द0 प्र0 सं0/383 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के अंतर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर उसे नोटिस जारी किया जाये।

दिनांकः 31–07–2026

(शैलजा राठी)
J.O. Code – UP2643
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
अमरोहा।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 31–07–2026

(शैलजा राठी)
J.O. Code – UP2643
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
अमरोहा।